भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.02.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 920 का उत्तर

'52 सप्ताह में 52 सुधार' कार्यक्रम

920. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री नवसकनी के.:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री जी. सेल्वम:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या '52 सप्ताह में 52 सुधार' कार्यक्रम में तमिलनाडु सहित देश में यात्री सुरक्षा और सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परिणामी रेल दुर्घटनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट के परिणामस्वरूप तमिलनाडु में रेल मार्गों पर सुरक्षा परिणामों में सुधार हुआ है और यदि हां, तो विशेषकर प्रचालन दक्षता, शासन, पारदर्शिता और सेवा प्रदायगी में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रेल द्वारा किए गए सकल बजटीय सहायता और पूंजीगत व्यय के कारण तमिलनाडु में नई रेल सेवाओं, रेलपथ नवीकरण और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं का आनुपातिक आवंटन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु में उच्च घनत्व वाले और उच्च जोखिम वाले मार्गों पर कवच स्वचालित रेल सुरक्षा को लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित कवरेज के लिए समय-सीमा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने रेल अवसंरचना और सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा उक्त सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्वतंत्र मूल्यांकन अथवा कार्य-निष्पादन संपरीक्षा कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त सुधारों को दीर्घकालिक आधार पर लागू करने और दक्षता में सतत सुधार, शासन और यात्रियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): भारतीय रेल ने 2026 के दौरान ग्राहक सेवा, परिसंपत्ति अनुरक्षण, गाड़ी परिचालन, यात्री सुविधाएँ, चल स्टॉक उत्पादन और गुणवत्ता, निर्माण गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएँ, नई तकनीक को अपनाने आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 52 सुधार कार्यों को लागू करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य दक्षता, शासन और सेवा वितरण में प्रणालीबद्ध सुधार लाना है।

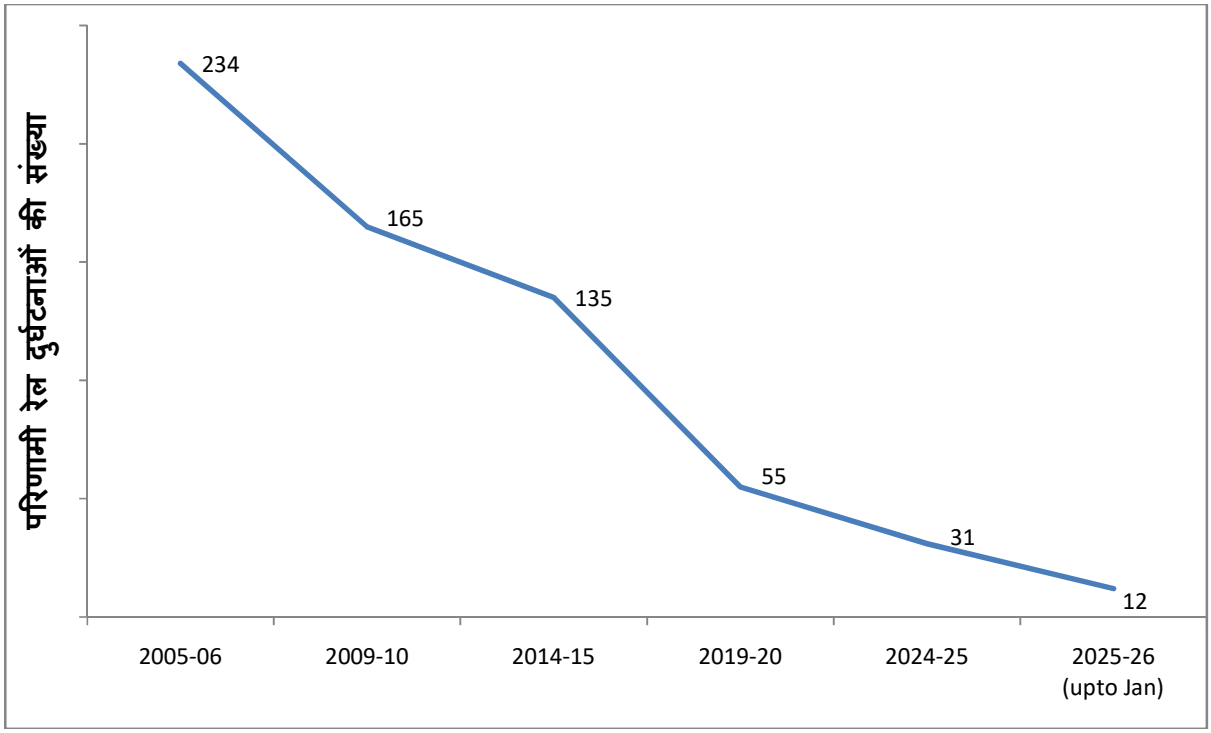
इन सुधारों से बेहतर प्रशिक्षण, अनुशासित परिचालन, प्रौद्योगिकी परिनियोजन और निरंतर निगरानी के माध्यम से संरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल में दीर्घकालिक संरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण मानकों के मौलिक उन्नयन के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक सिगनल व्यवस्था, नई पीढ़ी के चल स्टॉक और बेहतर अनुरक्षण प्रथाओं सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने की भी परिकल्पना की गई है।

लगातार कौशल उन्नयन, सिमुलेटर और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग और प्रशिक्षण को आजीविका प्रोन्नयन से जोड़कर प्रशिक्षण और प्रतिभा प्रबंधन में सुधार, जबकि भोजन की गुणवत्ता, खानपान और ऑनबोर्ड यात्रियों की सेवाओं में बड़े सुधार की योजना बनाई गई है।

संरक्षा

भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	परिणामी दुर्घटनाएं
2014-15	135
2025-26 (अब तक)	12 (90% कम)



रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा में सुधार दर्शाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक परिणामी दुर्घटना सूचकांक है। यह सूचकांक सभी रेलगाड़ियों की कुल चालित किलोमीटर के अनुपात के रूप में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या को मापता है।

$$\text{दुर्घटना सूचकांक} = \frac{\text{परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या}}{\text{रेलगाड़ियों की संख्या x मिलियन किलोमीटर चालन}}$$

ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**दुर्घटना सूचकांक**
2014-15	**0.11**
2024-25	**0.03 (73% कम)**

भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा संबंधी उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. **भारतीय रेल में पिछले कुछ वर्षों में संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय में वृद्धि हुई है, जो निम्नानुसार है:-**

संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय/बजट (करोड़ रु. में)				
2013-14	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
39,200	**87,336**	**1,01,662**	**1,14,022**	**1,17,693**

2. मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाएं कम करने के लिए 31.12.2025 तक 6,660 स्टेशनों पर प्वाइंटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन वाली इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

3. समपार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 31.12.2025 तक 10,097 समपार फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।

4. संरक्षा बढ़ाने के लिए 31.12.2025 तक 6,665 स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अभियोग के सत्यापन द्वारा स्टेशनों के पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।

5. अनिवार्य साम्यता जांच, परिवर्तन कार्य संबंधी प्रोटोकॉल, पूर्ण हो चुके कार्यों के आरेख तैयार करने आदि जैसे सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मामलों पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

6. प्रोटोकॉल के अनुसार सिगनल एवं दूरसंचार उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः बल दिया गया है।

7. लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।

8. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है, जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो ओएचई मास्ट पहले स्थित होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी मिल सके।

9. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) की व्यवस्था की जाती है जिससे लोको पायलट को आने वाले मुख्य स्थलों यथा सिगनल, समपार फाटकों आदि की दूरी का पता लग जाता है।

10. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 किग्रा की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रेंथ (यूटीएस) पटरियां, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) लोचदार बंधन वाले सामान्य/चौड़े स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर फैनशेप्ड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है।

11. मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।

12. संरक्षा बेहतर करने के लिए रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना।

13. पटरियों में दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए पटरियों का अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन परीक्षण (यूएसएफडी)।

14. लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग के उपयोग को कम करना और पटरियों के लिए बेहतर वैल्डिंग तकनीक अर्थात फ्लैश बट वेल्डिंग अपनाना।

15. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ रिकॉर्डिंग यानों) द्वारा रेलपथ भूमिति की निगरानी।

16. वेल्ड/पटरियों की टूट-फूट का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर गश्त लगाना।

17. टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।

18. संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों को निगरानी और शिक्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण।

19. युक्तिसंगत अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता और इनपुट के इष्टतमीकरण से संबंधित निर्णय लेने के लिए ट्रैक डाटाबेस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है।

20. रेलपथ की संरक्षा संबंधी मुद्दों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्य स्थल पर संरक्षा, मानसून संबंधी सावधानियों आदि पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

21. गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण।

22. पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन के रेल डिब्बों के स्थान पर एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं।

23. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर चौकीदार रहित सभी समपारों (यूएमएलसी) को समाप्त कर दिया गया है।

24. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान स्थितियों के आकलन के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है।

25. भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक "आग संबंधी सूचनाएं" लगाई हैं। सभी डिब्बों में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग से बचने के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में सूचित और सतर्क किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को साथ न ले जाने, धूम्रपान न करने, जुर्माना आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।

26. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और पैन्ट्री कारों में आग संसूचक एवं अवरोधन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में आग एवं धुआं संसूचक प्रणाली की व्यवस्था कर रही हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूद सवारी डिब्बों में चरणबद्ध तरीके से प्रोग्रेसिव फिट्मेन्ट का कार्य भी चल रहा है।

27. कर्मचारियों की नियमित काउन्सलिंग की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

28. दिनांक 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के तहत भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम में रोलिंग ब्लॉक अवधारणा की शुरूआत की गई है, जिसमें परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन के कार्य को रोलिंग आधार पर 52 सप्ताह पूर्व ही योजनाबद्ध किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

रेलवे द्वारा किए गए बेहतर अनुरक्षण कार्यों, प्रौद्योगिकीय सुधारों, बेहतर अवसंरचना और चल स्टॉक आदि संबंधी संरक्षा कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:-

क्र.सं.	मद	2004-05 से 2013-14	2014-15 से 2024-25	2004-14 की तुलना में 2014-25
	प्रौद्योगिकीय सुधार			
1.	उच्च-गुणवत्ता वाली पटरियों का उपयोग (60 कि.ग्रा.) (कि.मी.)	57,450 कि.मी.	1.43 लाख कि.मी.	2 गुना से अधिक
2.	लंबी रेल पटरियां (260 मीटर) (कि.मी.)	9,917 कि.मी.	77,522 कि.मी.	लगभग 8 गुना
3.	इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग (स्टेशन)	837 स्टेशन	3,691 स्टेशन	4 गुना से अधिक
4.	फॉग पास सेफ्टी उपकरण (अदद)	31.03.14 तक 90 अदद	31.03.25 तक 25,939	288 गुना
5.	थिक वेब स्विच (अदद)	शून्य	28,301 अदद	
	बेहतर अनुरक्षण पद्धतियां			
1.	प्राथमिक रेल नवीकरण (रेलपथ कि.मी.)	32,260 कि.मी.	49,941 कि.मी.	1.5 गुना
2.	यूएसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) वेल्डिंग परीक्षण (अदद)	79.43 लाख	2 करोड़	2 गुना से अधिक
3.	वेल्ड संबंधी खराबियां (अदद)	2013-14 में: 3699 अदद	2024-25 में: 370 अदद	90% कमी
4.	पटरियों में दरारें (अदद)	2013-14 में: 2548 अदद	2024-25 में: 289 अदद	88% से ज्यादा कमी
बेहतर अवसंरचना एवं चल स्टॉक				
1.	जोड़े गए नए रेलपथ कि.मी. (रेलपथ कि.मी.)	14,985 कि.मी.	34,428 कि.मी.	2 गुना से अधिक
2.	फ्लाईओवर (आरओबी)/ अंडरपास (आरयूबी) (अदद)	4,148 अदद	13,808 अदद	3 गुना से अधिक

3.	बड़ी लाइन पर चौकीदार रहित समपार (अदद)	31.03.14 तक: 8948	31.03.24 तक: शून्य (31.01.19 तक सभी बंद कर दिए गए)	हटा दिए गए
4.	एलएचबी सवारी डिब्बों का विनिर्माण (अदद)	2,337 अदद	42,677	18 गुना से अधिक

<u>कवच का कार्यान्वयन:</u>

i. कवच एक स्वदेश विकसित स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षा प्रणाली (एटीपी) है। कवच अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसके लिए सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन (एसआईएल-4) की आवश्यकता होती है।

ii. यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित ब्रेक लगाकर लोको पायलट को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर रेलगाड़ी चलाने में सहायता करता है और यह खराब मौसम के दौरान रेलगाड़ी को संरक्षित ढंग से चलाने में भी सहायता करता है।

iii. यात्री गाड़ियों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। इस प्रकार प्राप्त अनुभव और तीसरे पक्ष (निष्पक्ष संरक्षा मूल्यांकनकर्ता: आईएसए) द्वारा प्रणाली के निष्पक्ष संरक्षा मूल्यांकन के आधार पर, कवच संस्करण 3.2 की आपूर्ति के लिए 2018-19 में तीन फर्मों को अनुमोदित किया गया था।

iv. कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया।

v. कवच प्रणाली के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

 क. प्रत्येक स्टेशन, ब्लॉक खण्ड पर स्टेशन कवच का संस्थापन।
 ख. पूरे रेलपथ की लंबाई में आरएफआईडी टैग का संस्थापन।
 ग. समग्र खंड में दूरसंचार टावरों का संस्थापन।
 घ. रेलपथ के बगल में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।
 ङ. भारतीय रेल पर चल रहे प्रत्येक रेल इंजन पर लोको कवच का प्रावधान।

vi. दक्षिण मध्य रेल के 1465 मार्ग किलोमीटर पर कवच संस्करण 3.2 को संस्थापन और प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे और सुधार किए गए। अंततः आरडीएसओ द्वारा दिनांक 16.07.2024 को कवच विशिष्टि संस्करण 4.0 को अनुमोदित किया गया।

vii. कवच 4.0 संस्करण में विविध रेलवे नेटवर्क के लिए आवश्यक सभी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। यह भारतीय रेल की संरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अल्प अवधि के भीतर, भारतीय रेल ने स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षण प्रणाली विकसित की गई, परीक्षण किया गया और उसे संस्थापित करना शुरू कर दिया है।

viii. कवच संस्करण 4.0 में किए गए प्रमुख सुधारों में अवस्थिति सटीकता में वृद्धि, बड़े यार्डों में सिगनल संबंधी पहलुओं की बेहतर जानकारी, ओएफसी पर स्टेशन-से-स्टेशन कवच इंटरफ़ेस और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से सीधा इंटरफ़ेस शामिल है। इन

सुधारों के साथ, कवच संस्करण 4.0 को भारतीय रेल में बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना है।

ix. विस्तृत एवं व्यापक परीक्षणों के उपरांत, कवच संस्करण 4.0 को 1297 मार्ग किलोमीटर पर सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है, जिसमें उच्च घनत्व वाले दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्गों को शामिल किया गया है। दिल्ली-मुंबई मार्ग पर कवच 4.0 को जंक्शन केबिन - पलवल-मथुरा-नागदा खंड (667 मार्ग किलोमीटर) और अहमदाबाद-वडोदरा-विरार खंड (432 मार्ग किलोमीटर) और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर गया-सरमतनार (93 मार्ग किलोमीटर) और बर्धमान-हावड़ा खंड (105 मार्ग किलोमीटर) पर कमीशन किया गया है।

x. इसके अलावा, भारतीय रेल के सभी जीक्यू, जीडी, एचडीएन और चिह्नित रेलखंडों को कवर करते हुए 23,360 मार्ग किलोमीटर पर कवच के रेलपथ साइड कार्यों का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। ये हिस्से तमिलनाडु राज्य से भी होकर गुजरते हैं।

xi. दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा गलियारों समेत उच्च घनत्व वाले मार्गों पर कवच के प्रमुख मदों की प्रगति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मदें	प्रगति
i	ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना	8570 कि.मी.
ii	दूरसंचार टावरों का संस्थापन	938 अदद
iii	स्टेशन डेटा सेंटर	767 स्टेशन
iv	रेलपथ साइड उपकरणों का संस्थापन	5672 मार्ग कि.मी
v	रेलइंजनों में कवच का प्रावधान	4154

xii. 6,300 विद्युत रेलइंजनों को कवच संस्करण 4.0 से सुसज्जित करने के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और 2,679 डीजल रेलइंजनों को सुसज्जित करने के लिए एक और निविदा अंतिम चरण में है।

xiii सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय रेल के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में कवच पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 48,000 से अधिक तकनीशियनों, ऑपरेटरों और इंजीनियरों को कवच प्रौद्योगिकी के विषय पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसमें 45,000 लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रमों का निर्माण आईआरआईएसईटी के सहयोग से किया गया है। यह पाठ्यक्रम इरिसेट के सहयोग से तैयार किया गया है।

तमिलनाडु

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹879 करोड़ प्रति वर्ष
2025-26	₹6,626 करोड़ (7.5 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 22,808 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 1,700 किलोमीटर लंबाई की 15 परियोजनाएं (9 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 03 दोहरीकरण) स्वीकृत हैं। इनका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	9	812	24	1,337
आमान परिवर्तन	3	748	604	3,471
दोहरीकरण/बहुपथन	3	140	37	2,783
कुल	15	1,700	665	7,591

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जिन्हें हाल ही में पूरा किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	डिंडीगुल-पलानी-पोलाची आमान परिवर्तन (121 किलोमीटर)	610
2	पोलाची-पालघाट आमान परिवर्तन (56 किलोमीटर)	350
3	पोलाची-पोत्तनूर आमान परिवर्तन (40 किलोमीटर)	400
4	क्विलोन-तिरुनेलवेली-तिरुचेंदुर आमान परिवर्तन (357 किलोमीटर)	1,122
5	मयिलादुतुरई-थिरुवरुर-कराइक्कुडी आमान परिवर्तन (187 किलोमीटर)	1,338
6	मदुरै-बोडियाकन्नूर आमान परिवर्तन (90 किलोमीटर)	593
7	चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम दोहरीकरण (102 किलोमीटर)	670
8	तिरुवल्लुर-अराक्कोनम चौथी लाइन (27 किलोमीटर)	83
9	चेन्नई सेंट्रल-बेसिन ब्रिज दोहरीकरण (2 किलोमीटर)	31
10	तंजावुर-पोनमलाई दोहरीकरण (48 किलोमीटर)	370
11	विल्लुपुरम-डिंडीगुल दोहरीकरण (273 किलोमीटर)	2,000
12	चेन्नई बीच-कोरुक्कुपेट तीसरी लाइन (5 किलोमीटर)	168

13	चेन्नई बीच-अट्टीपट्टू चौथी लाइन (22 किलोमीटर)	293
14	ओमलुर-मेत्तूरडैम कहीं-कहीं दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	327
15	चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम और तांबरम-चेंगलपट्टू - तीसरी लाइन (133 किलोमीटर)	1,122
16	सेलम-मैग्नेसाइट जंक्शन-ओमालुर दोहरीकरण (11 किलोमीटर)	115
17	मदुरै- मनियाची-तूतीकोरिन दोहरीकरण (160 किलोमीटर)	1,891
18	मनियाची-नागरकोइल दोहरीकरण (102 किलोमीटर)	1,752
19	चेन्नई बीच- चेन्नई एग्मोर दोहरीकरण (4 किलोमीटर)	272
20	कारैक्काल - पेरलम नई लाइन (23 किमी)	373
21	कारैक्काल पोर्ट से उत्तरी छोर बंदरगाह सम्पर्कता (1 किमी)	18

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएँ जिन्हें शुरू किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	टिंडीवनम-नगरी नई लाइन (184 किलोमीटर)	3,631
2	मोरप्पुर-धर्मपुरी नई लाइन (36 किलोमीटर)	359
3	नागपट्टिनम - तिरुतुरईपुंडी नई लाइन (43 किलोमीटर)	742
4	तिरूवनंतपुरम- कन्याकुमारी- दोहरीकरण (87 किलोमीटर)	3,785
5	अराक्कोनम यार्ड तीसरी और चौथी लाइन (6 किलोमीटर)	98
6	पेरम्बुर और अंबत्तूर स्टेशन पाँचवीं और छठवीं लाइन परियोजना (6 किलोमीटर)	178

पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 2,501 कि.मी. कुल लंबाई वाले 29 सर्वेक्षण (06 नई लाइन और 23 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए कुल अपेक्षित भूमि	4326 हेक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	1052 हेक्टेयर (24%)
अधिग्रहण हेतु शेष भूमि	3274 हेक्टेयर (76%)

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हुई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	तिंडीवनम-तिरुवण्णामलै नई लाइन (71 किलोमीटर)	276	33	243
2.	अतिपट्टू-पुत्तुर नई लाइन (88 किलोमीटर)	189	0	189
3.	मोरप्पुर-धर्मपुरी नई लाइन (36 किलोमीटर)	92	45	47
4.	मन्नारगुडी-पट्टुकोट्टई नई लाइन (41 किलोमीटर)	196	0	196
5.	तंजावूर-पट्टुकोट्टई नई लाइन (52 किलोमीटर)	152	0	152

इसके अलावा, रामेश्वरम - धनुषकोडी नई लाइन (18 कि.मी.) को 734 करोड़ रुपए की लागत पक स्वीकृत किया गया था। परियोजना का शिलान्यास दिनांक 01.03.2019 को किया गया था। बहरहाल, परियोजना शुरू नहीं हो सकी क्योंकि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है।

भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तैयार है, बहरहाल, इनकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनुमानित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना

- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा की गईं मांगें
- रेलवे की परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
